न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1625/I/2015 –विरूद्व आदेश दिनांक 17.4.2015 – पारित व्दारा सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर – प्रकरण कमांक 388–एक/2015 –

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़ ------आवेदक

विरूद्व

स्व0फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह ठाकुर

वरिस

श्रीकृष्ण बहादुर सिंह पुत्र देवीदत्त सिंह विशेन
निवासी सीपरी बाजार कृषक ग्राम बबेड़ी जंगल
तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री बी0एस0तौमर)

आ दे श
(आज दिनांक 1 – 9 – 2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 388/एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.4.2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व0फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह ठाकुर ने नायव तहसीलदार ओरछा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि सर्वे कमांक 27/2 रकबा 2.023 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया

गया है) का उसे 5-8-1973 को पटटा प्रदान किया गया था, जिसके वाद राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ है किन्तु वर्ष 2000 में जब खसरे की नकल ली, तब पता चला कि उसका नाम खसरे में दर्ज नहीं है, इसलिये पटटे की प्रविष्टि करके उसका नाम खसरे में दर्ज किया जावे। नायव तहसीलदार ओरछा ने प्रकरण कमांक 5 अ 6 अ/2005-06 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 31.10.2006 से अनावेदिका का आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व स्व०फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह ठाकुर ने अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने प्रकरण क्रमांक 45/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-8-2010 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 759/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-14 से अपील स्वीकार की गई एंव वादग्रस्त भूमि पर स्व०फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह ठाकुर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश से परिवेदित होकर म०प्र०शासन की ओर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 388/I/2015 प्रस्तुत की, जो पैनल लायर व्दारा प्रकरण आगे न चलाने की प्रार्थना करने पर आदेश दि. 17-4-15 से निरस्त हुई। म०प्र०शासन की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी व्दारा आदेश दि. 17-4-15 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन देने पर यह पुनरावलोकन प्रकरण दर्ज किया गया है।

3/ प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक फुलझरी देवी पत्नि

दुर्गासिंह ठाकुर की दि. 31.1.215 को मृत्यु हो गई है, जबकि आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्र.क्र. 759/2010-11 अपील में पारित आदेश दि. 28-2-14 के विरूद्ध निगरानी दि. 19.2.15 को मृतक पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रही एंव मृतक के विधिक वारिस को रिकार्ड पर लिये जाने का आवेदन भी समय रहते प्रस्तुत न होना पाया गया है, जिसके कारण निगरानी प्रकरण क्रमांक 388/I/2015 अप्रचलनशील योग्य होना माना जावेगा।

4/ अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। आवेदक के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस एंव उनके निवेदन पर मामला गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु विचार में लिया गया।

5/ लेखी बहस एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करते हुये नायव तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 5 अ 6 अ /2005-06 का अवलोकन किया गया। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.10.2006 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदिका को वादग्रस्त भूमि का पटटाधारी इसलिये माना है कि उनके प्रवाचक ने टीप दी है कि पटटे के प्रकरण क्रमांक का अंकन दायरे में नहीं है,जबकि अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने आदेश दि. 9-8-10 के पद 5 में स्वीकार किया है कि-

** अपीलार्थी ने नायव तहसीलदार ओरछा के दायरा पंजी की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण के माध्यम से अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का पटटा स्वीकृत किया गया है मैंने नायव तहसीलदार ओरछा की मूल दायरा पंजी का अवलोकन किया, इससे

स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण नायव तहसीलदार की दायरा पंजी में दर्ज है"** जब स्पष्ट हो गया कि दायर पंजी में प्रकरण दर्ज है एंव इसी प्रकरण से पटटा जारी हुआ है पटटा जारी होने के वाद पटटे का अमल खसरा वर्ष 1972-73 में किया गया है तथा आगे के खसरो में भी अनावेदक का नाम दर्ज रहा है। नायव तहसीलदार ने आवेदिका को वादग्रस्त भूमि का पटटा जारी किया है पटटे पर नायव तहसीलदार की हस्ताक्षर सहित पदमुद्रा एंव न्यायालय की गोलमुद्रा अंकित है तब पटटे पर संदेह की कोई गुजायश नहीं रह जाती है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 28.2.14 में वादग्रस्त भूमि का पटटा मृतक फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह ठाकुर के हित में जारी होना पाया है, जिस पर किसी प्रकार की शॅका की गुंजायश नहीं है।

6/ नायव तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 5 अ 6 अ/ 05-06 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में पृष्ठ 22 से 27 पर अनावेदक ने शिवकुमार पुत्र बच्चू एंव म0प्र0शासन के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ओरछा के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के कब्जे को लेकर व्यवहार वाद क्रमांक 19 ए 2004 दायर किया है जिसमें पारित आदेश दिनांक 26.8.2004 से अनावेदक के हित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई है स्पष्ट है कि माननीय व्यवहार न्यायालय ने भी वादग्रस्त भूमि अनावेदक की होना मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। इस तथ्य के होते हुये भी नायव तहसीलदार ने दायरा पंजी में प्रकरण दर्ज न होने, पटटा फर्जी होने, खसरा प्रविष्टि फर्जी होने के तथ्य वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकाले हैं तथा उन्होंने जानबूझकर त्रृटिपूर्ण आधारों पर निष्कर्ष देते हुये आवेदिका का अमल सुधार का आवेदन निरस्त किया है एंव इन

तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने भी गौर नहीं किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने प्रकरण क्रमांक 759 /2010-11 अपील में पारित आदेश दि. 28.2.14 से आवेदिका का पटटा विधिवत् होना पाकर उसे शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् भूमिस्वामी अंकित करने का निर्णय लेने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 759 /2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.2.2014 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन अप्रचलशील पाये जाने से अमान्य किया जाता है। परिणामतः निगरानी प्रकरण क्रमांक 388/I/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.4.2015 स्थिर रहने से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 759 /2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.2.2014 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर